

असवर्ण-विवाह निषेध

या

पटेलविलखण्डन

रचयिता-पं० ब्रह्मदेव मिश्र

शास्त्री, काव्यतीर्थ,

सम्पादक ब्राह्मणर्वस्व ।

प्रकाशक-ब्रह्मप्रेस इटावा,

प्रथमवार { सं० १९७७ { मूल्य ॥
१००० { सन् १९२० { २) सैकड़ा

Printed by Pandit Brahma Deva Misra
at the Brahma Press-Etawah.

वक्तव्य ।

सनातनधर्मी सज्जनों को यह विदित होना कि पटेल-यिल के चारे में देशभर में कैसा ज्वरदस्त विरोध हो चुका है। इस विरोध का परिणाम यह हुआ है कि नवीन कौंसिलों के चुनाव होने तक यह बिल विचाराधीन रख दिया गया है। आगामी सितम्बर या अक्टूबर में नवीन कौंसिलों की रचना होजाने पर इस के प्रस्तावक और समर्थक इस के पास कराने का प्रयत्न करेंगे। इस लिये सनातनधर्मियों को अभी से चेत कर इस के विरुद्ध घोर आन्दोलन करना चाहिये। जगह २ सभायें करके इस के विरोध में वाइसराय तथा भारतमन्त्री के पास तार भेजने चाहिये साथ ही नवीन कौंसिलों में मेम्बरी के लिये उम्मेदवार सज्जनों में उन्हीं को वोट देना चाहिये जो बृह सनातनधर्मी हों।

यह छोटासा ट्रेक्ट केवल इस लिये लिखा गया है कि असचर्ण विवाह की शास्त्र विरुद्धता लोग समझें, और धर्म विरोधियों के वहकाने में न पड़े।

निषेदक-ब्रह्मदेव शास्त्री ।

श्रीहरिः ।

असवर्ण-विवाह-निषेध

या

पटेलबिल खण्डन ।

कनकनिकषभासा सीतयालिङ्गिताङ्गो

नवकुवलयदासश्यामवर्णाभिरामः ।

अभिनव इव विद्युन्मण्डितो मेघखण्डः ।

शमयतु मम तारपं रुद्धतो रासचन्द्रः ॥

मि० पटेल ने वायसराय की कौंसिल में वर्णसङ्करी बिल उपस्थित कर हिन्दू जाति को जो मर्यान्तक कष्ट पहुंचाया है वह किसी से छिपा नहीं है । श्रुतिस्मृति पुराणों को निःश्रान्त प्रमाण मानने वाली हिन्दू जाति तो इस बिल के विरोध में प्राणपण से चेष्टा कर रही है पर कुछ अदूरदर्शी उच्छृङ्खल नवयुवकों को यह बड़ा अच्छा मौका हाथ लग गया है । शास्त्रमर्यादामित्र इन अदूरदर्शियों ने इसी में भलाई समझ रखी है कि इस बिल का समर्थन किया जाय । वे सब शक्ति लगा कर इस बिल को पास कराने की चेष्टा में लगे हुए हैं यदि ये लोग इतनी ही चेष्टा कर विरत रहते तब भी खैर थी, पर नहीं इन में से कितने ही धर्मशास्त्रों के प्र-

माणों से भी असवर्ण विवाह को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। आज हम इस लेख में यही दिखावेंगे कि असवर्ण विवाह धर्मशास्त्रों से तो विरुद्ध ही है किन्तु वह वेदों के भी विरुद्ध है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक मन्त्र है—

अपाशूहन्नमृता मर्त्येभ्यः कृत्वी सवर्णामददु-
र्विवस्वते । उताश्विना वभरव्यत्तदासीदजहा-
दुद्रा मियुना सरयूः ॥

विवस्वत् नाम निघण्टु में मनुष्य का है इस लिये इस की यही व्याख्या ठीक है कि परपात्मा ने मनुष्य के लिये (सवर्णामददुः) अपने समान वर्ण की स्त्री का आदेश दिया। इस से सिद्ध है कि वेद सवर्ण विवाह का ही पोषक है।

कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय राजा ययाति का ब्राह्मण कन्या देवयानी के साथ पहिले विवाह हुआ था, इस विषय में वक्तव्य यह है कि यह विवाह धर्मशास्त्र विरुद्ध था, और उस शाप का परिणाम था जो कञ्चने देवयानी को दिया था, इस शास्त्रविरुद्ध परिणाम का फल भी दोनों को मिला था, पति पत्नी दोनों को सुख न मिला, राजा ययाति शर्मिष्ठा को चाहते थे और वृद्धावस्था तक वे घोर कामासक्ति में रत रहे थे।

कुछ लोग शकुन्तला के विवाह को भी असवर्ण विवाह कह कर पेश करते हैं।

पर शकुन्तला का दृष्टान्त देना तो सर्वथा असमोचीन है इतिहास का जिन्हों ने कुछ भी अध्ययन किया होगा वे जानते होंगे कि शकुन्तला कश्यप की पालिता पुत्री थी, कश्यप महर्षि की औरस कन्या न थी वह क्षत्रिय कुलंत्पन्ना थी, दुप्यन्त का शकुन्तला के साथ विवाह कदापि शास्त्र मर्यादा के प्रतिकूल न था, दुप्यन्त को सत्य यह शंका हुई थी पर अपने मन की पवित्रता पर उन्हें विश्वास था कि वह कभी अनुचित मार्ग पर नहीं चलेगा उन्होंने ने मन ही मन विचार कर निश्चय कर लिया कि शकुन्तला की तरफ जो मेरी प्रवृत्ति हुई है उससे निश्चय ही शकुन्तला क्षत्रिय कन्या है। यदि यह ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन कदापि इसके प्रति आकर्षित नहीं होता, कविकुल चूड़ामणि कालिदास ने दुप्यन्त की इस मनः प्रवृत्ति का चित्र अपनी सुन्दर कविता में इस प्रकार खींचा है—

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः । सतांहिसन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥

अर्थात् निःसन्देह ही यह शकुन्तला क्षत्रिय वंशीय युवक के साथ विवाही जानके योग्य है क्योंकि मेरा पवित्र मन इस की तरफ आकर्षित हो रहा है। सन्देहजनक वस्तुओं में अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण का कार्य करती है। पर इसके

चाद सखियों से बातचीत करने पर जब दुष्यन्त को शकु-
न्तला के कुल का पता लगा तब तो रहा सहा सन्देह भी
जाता रहा और उस समय दुष्यन्तकेमुखसे निकल पड़ाकि-
भव हृदय चाभिलाषं संप्रति सन्देहनिर्णयो जातः

आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षनं रत्नम् ॥

अर्थात् हे हृदय ! तेरी अभिलाषा पूर्ण हुई । सन्देह का
निर्णय हो गया जिसको तुम अग्नि समझते थे वह स्पर्श क-
रने योग रत्न है अर्थात् शकुन्तला ब्राह्मण कन्या नहीं है जो
उसके साथ विवाह न हो सके । इन बातों से स्पष्ट है कि
शकुन्तला के साथ दुष्यन्त का विवाह असवर्ण विवाह न था ।

इसके आगे वर्णान्तर विवाहके पक्षगानी मनुस्मृतिके निम्न-
श्लोकों से वर्णान्तर विवाहकी पुष्टि करते हैं वे श्लोक ये हैं ।

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगाम्नाभ्यर्हणीयताम् ।

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृ गुणैः शुभैः ॥

मनु० अ० ६ श्लो० २३ । २४-

अर्थ-नीसि कुल में उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ठ के और
शारङ्गी मन्द्रपाल के सम्बन्ध से उच्चता को प्राप्त हुई । और

भी बहुत सी नीच कुल की स्त्रियां अपने २ पतियों के गुणों से उच्चता को प्राप्त हुईं ।

वास्तव में इन श्लोकों में वर्णान्तरविवाह लेशमात्र भी नहीं है इन श्लोकों के पहिले के श्लोकों में स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों का वर्णन करते हुए मनु जी ने यह प्रतिपादित किया है कि किन २ उपायों से स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा हो सकती है, रक्षा के उपायों में मनु भगवान् ने एक उपाय यह भी घतलाया है कि उनके पति सदाचारो होने चाहिये, सत्संग का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है ये श्लोक केवल सत्संग की महिमा के द्योतक हैं । क्योंकि मेधातिथि टीकाकार इन की टीका करते हुए लिखते हैं ।

शारङ्गी तिर्यग्जातिः चटका मन्दपालेन सुनित्रा
संयुक्ता तथैव पूज्या । कुल्लुकः—तथा चटका म-
न्दपालालयेन ऋषिणा संगता पूज्यतां गता ।

अर्थात् शारङ्गी पक्षिकुलोत्पन्ना चटका (चिड़िया) थी, मन्दपाल ऋषि की संगति से पूजनीय हुई । आज कल के नई रोशनी वाले तो इस बात को असम्भव कहकर उड़ा देंगे उनकी बुद्धि में भी यह बात नहीं गासकती कि एक पक्षि जातीया चटका से मनुष्य की संगति होसकती है यदि इन श्लोकों के आधार पर आप असवर्ण विवाह की प्रथा प्रच-

लिन करना चाहते हैं तो इनने पर ही र्थयं न पारं किन्तु म-
नुष्य पशु पक्षियों में परस्पर विवाह प्रजाती को प्रथा प्रच-
र्त्तित करें। अन्यथा ऋषियों के इस धर्मीक उदाहरणोंका
पक्षमान समयमें नाम न लें। हम इनसे पृच्छते हैं कि शक्या
आपका भाशय क्या है क्या यह मनलव कि इन ऋषियों ने
नीच जातीय स्त्रियोंसे विवाह किया और वे पूज्य कण्ठार्द्ध
तय मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों की क्या व्याख्या करेंगे।

न ब्रह्मणक्षत्रिययो-रापद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्ब्रहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥

शूद्रावेदी पतत्यत्रे-एतद्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतयाभृगोः ॥

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥

दैवपिञ्ज्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाश्नन्ति पितृदेवास्त-न्न च स्वर्गं च गच्छति ॥

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।

तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥

मनु० अ० ३ श्लो० १४-१६

इसके प्रथम श्लोक में ही मनु भगवान् स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी दृष्टान्त में भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने आपत्ति में पड़कर भी किसी शूद्र जातीया स्त्री से विवाह किया हो। द्वितीय श्लोक में मनु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि नीच जाति की स्त्री से विवाह करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शीघ्र ही सन्तानों सहित अपने कुलों को शूद्रता प्राप्त करा देते हैं अर्थात् नीच जातीया स्त्रियों से विवाह करने वाले द्विजों के कुल शूद्र हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रा से विवाह करके ही पतित होजाना है, क्षत्रिय शूद्रा स्त्री में सन्तान उत्पन्न करते ही पतित हो जाता है, अर्थात् क्षत्रिय को शूद्रा स्त्री में गर्भाधान करने का निषेध है। वैश्य शूद्रा स्त्री में सन्तान उत्पन्न कर के पतित होजाना है। शूद्रा स्त्री को अपने शय्या पर आरूढ़ करते ही ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होजाता है और उस में सन्तान उत्पन्न करके तो सर्वथा ब्राह्मणत्व से ही पतित होजाता है। जिस द्विज के घर में शूद्रा स्त्री है और वह दैव पित्र्य और आतिथेय कार्योंका अनुष्ठान करती है उसका हव्य और कव्य देवता और पितर ग्रहण नहीं करते और वह द्विज स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता। जिस द्विज ने शूद्रा स्त्री के अधर रस का

पान किया हो जिसने उसके मुख निःश्वसित वायु का उप-
भोग एक शब्दासीन होकर किया हो तथा जिस ने उसमें
सन्तान उत्पन्न किया हो उसका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता ।

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि क्रिजों का शूद्राके साथ विवाह
करना अतिवृणित है और भगवान् मनु ने उसका बड़े स्पष्ट
शब्दों में निषेध किया है । अब रहा यह कि मनुस्मृति में जो
निम्न श्लोक पाया जाता है—

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य वा च स्वा च विप्रः स्मृते ।
ते च स्वाचैव राज्ञः स्युस्ताश्च स्वावायजन्मनः ॥

मनु० अ० ३ श्लो० १३ ।

शूद्र की स्त्री शूद्रा ही होनी चाहिये, वैश्य की शूद्रा और
वैश्या दोनों हो सकती हैं । क्षत्रिय की ब्राह्मणी को छोड़कर
तीनों हो सकती हैं और ब्राह्मण भी चारों वर्ण की स्त्रियाँ हो
सकती हैं । सो यह श्लोक ब्राह्मण में पूर्वपक्ष का है इतीहिये
मनु ने आगामी श्लोक में (कश्चिद्विदुषि वृत्तान्ते शूद्रा वा-
योपदिश्यते) कह कर स्पष्ट ही ब्राह्मण क्षत्रियके लिये शूद्रा-
वनिषयका निषेध कर दिया है । केवल प्रतिपक्ष से यह कहा
जासकता है शूद्रा विवाह का निषेध पहले कर ही ब्राह्मण,
क्षत्रिय एवं वैश्य कन्या से और वैश्य शूद्र कन्या से विवाह
कर सकता है सो इस विषय में बलवत् यह है कि हमने पूर्व
के श्लोक में मनुजी इस प्रकार के विवाह की भी निन्दा कर
चुके हैं वे कहते हैं ।

सवर्णाग्रं द्विजातीनां प्रशस्तादारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥

मनु० अ० ३ श्लो० १२ ।

अर्थात् द्विजातियों के लिये अपने वर्णकी कन्या से विवाह करना ही उत्तम है तथापि जो कामी हैं जो धर्माधर्मकी परवाह नहीं करते हैं उनके लिये यह विधान है । मनुजी के इन वचनोंसे स्पष्ट है किवे ऐसे विवाहको धर्मशास्त्रानुमोदित नहीं बताते, कामप्रवृत्तिके चरितार्थ करनेके लिये होने वाला विवाह कर्मा धर्मशास्त्रानुमोदित नहीं कहा जासकता । सभी जानते हैंकि हिन्दुओंमें विवाह पारलौकिककार्यों के अनुष्ठान के लिये ही होता है । पैशाचिक कामप्रवृत्ति चरितार्थ करनेके लिये जब हिन्दुओं में विवाह होता नहीं तो क्यों इस प्रकार की अधर्म प्रवृत्ति में पड़ना वे पसन्द करेंगे । और फिर धर्मशास्त्र किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, धर्मशास्त्रोंमें जो विवाह निकृष्ट लिखे हैं वे अवश्य धर्मशास्त्रके प्रतिकूल माने जावेंगे ।

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीषुः कुलसुत्कर्ष—मधमानधमास्त्यजेत् ॥

उत्तमानुत्तमान् गच्छन् हीनान् हीनांश्चवर्जयन्
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥

मनु० अ० ४ श्लो० २४४ । २४५

कुल के उत्कर्ष को चाहते हुए ब्राह्मणादि वर्ण अपने वर्णके योग्य उत्तम कुल के साथ विवाहादि सम्बन्ध करें। और नीचे कुलों का त्याग करें। ब्राह्मणादि उत्तम कुल के साथ सम्बन्ध करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं और अपने से नीचे वर्णों के साथ सम्बन्ध करते हुए शूद्रता को प्राप्त करते हैं।

तदध्यास्योद्ब्रह्मेद्रार्या सवर्णां लक्षणान्विताम् ।
कुलेमहति सम्भूतां हृद्यां रूपं शान्विताम् ॥

मनु० अ०७ श्लो० ७७

ऐसे घर को बनवाके अच्छे लक्षणों से युक्त, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, हृदय को प्रिय, रूप और गुण से युक्त सवर्णा अर्थात् अपने वर्ण की कन्या से विवाह करें। इसी प्रकार समावर्तन प्रकरण में भी मनु जी ने लिखा है।

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।
उद्ब्रह्मेतद्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥

मनु अ० ३ श्लोक ४

गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्यव्रतके समाप्त्यनन्तर स्नातक समान वर्णकी भार्यासे विवाह करे। इस प्रकार मनुस्मृतिके प्रमाणों की पर्यालोचना करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि मनु जी असवर्ण विवाह के पक्षपाती नहीं, उन्होंने ने सर्वत्र सवर्ण विवाह की ही घोषणा की है, पर जो लोग धर्म विरुद्ध, चलना चाहते हैं कामी हैं उनके लिये यह विधि बतला दी है।

कि जो अधर्म ही करना चाहते हैं वे इस प्रकार अपनी काम यासना को चरितार्थ करें इससे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। इसी लिये ऐसे असवर्ण एवं अनुलोम विवाहों का विधान भी उन्होंने ने सवर्ण विवाह से भिन्न रक्खा है वे लिखते हैं।

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ।

असवर्णास्वयंज्ञेयो विधिरुद्राहकर्मणि ॥

शरः क्षत्रिययाग्राह्यः प्रतोदोवैश्यकन्यया ।

वसनस्य दशाग्राह्या शूद्रयोत्वृष्टवेदने ॥

मनु० अ० ३ श्लो० ४३ ४४

अर्थात् पाणिग्रहण संस्कार सवर्णों के साथ ही हो सकता है जो अपने से निकृष्ट वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहें तो ब्राह्मण का यदि क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह हो तो कन्या के हाथमें शर (बाण) दिया जाय उसीका एक-२ सिरा वर और कन्या पकड़े । एवं क्षत्रिय वर का वैश्य कन्या के साथ विवाह हो तो वैलों के हाँकने का पैना दोनों के हाथ में दिया जाय उसी को दोनों पकड़ें एवं यदि वैश्य वर शूद्र कन्याके साथ विवाह करे तो बल्ल का किनारा दोनों पकड़ें ।

विवाह की इस विधि से स्पष्ट है कि यह संस्कार पाणिग्रहण न होगा । तब विवाह संस्कार में आये (गृष्णाभिते भौसगत्वायहस्तं०) इत्यादि मन्त्र निकाल देने पड़ेंगे और

तब विवाहपद्धति भी विवाह का काम न देगी पर वर्णविवेक के अनुसार इस प्रकार के अनुलोम विवाह भी कलियुग में कदापि नहीं हो सकते वहां स्पष्ट लिया है ।

समुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम् ।

द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्ताथा ॥

एतान्धर्मान्कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ।

इस प्रकार समुद्रयात्रा कमण्डलु धारण, असवर्ण कन्याओं के साथ विवाह इस कलियुगमें सर्वथा निषिद्ध हैं । इस लिये कम से कम इस समय तो ऐसी बात का नाम भी न लेना चाहिये । महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपनी स्मृति में इस का निषेध किया है देख लिये हैं—

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राहारोपसंग्रहः ।

वैतन्सम मतं यस्मात्तत्रात्माजायतेस्वयम् ॥

अर्थात् जो यह कहा जाता है कि द्विजाति लोग शूद्र कन्या के साथ विवाह कर लें, सो हमारी राय में यह बहुत बुरी बात है क्योंकि वेदमें कहे अनुसार पति स्वयं ही अपनी पत्नी में पुत्ररूप से पैदा होता है, यदि ब्राह्मणादि शूद्र कन्या के साथ विवाह करेंगे तो वे स्वयं भी शूद्र हो जावेंगे ।

असवर्ण विवाह का सब से बुरा फल तो यह होगा कि इससे हिन्दू जाति की अनादि काल से चली आती हुई वर्णव्यवस्था मिट जायगी, क्योंकि ब्राह्मणसे ब्राह्मणी में उत्पन्न

ही पुत्र ब्राह्मण कहला सकता है जैसाकि मनु जी ने कहा है—

सर्ववर्णेषु तुल्यास्तु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्याज्ञेयास्त एव ते ॥

ब्राह्मणादि चारों वर्णोंमें समान जाति की अक्षतयोनि दशा में विवाहित पत्नियों से उत्पन्न सन्तान ही उस २ जाति के कहलावेंगे अर्थात् ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न सन्तान ही ब्राह्मण कहलायगी, क्षत्रिय से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न ही क्षत्रिय कहलायगी । वर्णव्यवस्था के इस नियम से स्पष्ट है कि अस-वर्ण-विवाह से उत्पन्न सन्तान वर्णसङ्कर ही होगी, वर्णसङ्करों की अधिकता का परिणाम देश के लिये कैसा भीषण होगा सो भी भगवान् मनु के शब्दों में सुन लीजिये ।

यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सहतद्राष्टं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले वर्णसङ्करों की अधिकता हो जाती है वह राज्य शीघ्र राज्य में बसने वाली प्रजाके साथ नष्ट होजाता है । इस लिये राजा का कर्तव्य है कि वह इस बात की चिन्तामें सदा रहे कि वर्णसङ्कर देशमें न होने पावें ।

इस विवेचन से स्पष्ट हो गया किपटेल का वर्णसङ्करी विल सर्वथा देश के लिये हानिकारक है अब हम सामाजिक दशा के अनुसार इस पर विचार करते हैं ।

० भारतवर्ष में इस समय समाज का संगठन पूर्वापेक्षा ब-
 हुते से टुकड़ों में विभक्त हो गया है। धर्मभेद, जातिभेद,
 आचारभेद आदि २ भेदों से इस समय हिन्दू जाति अनेक
 भेदों में विभक्त है। अपने २ धर्म एवं समाज के नियमों का
 पालन करने में ही लय मस्त हैं, मांसाहारी जातियों को
 क्षणमात्र भी मांसके बिना खान नहीं पड़ती, इधर शाकाहारी
 मांसके नामसे भी घृणा करते हैं। यदि पटेल बिल पास हो
 जायगा तो बड़ा कठिनता यह होगी कि जिनके रीतिरिवाजों
 एवं आचार विचारोंमें जमीन आसमान का सा फर्क है ऐसे
 भिन्न २ वर्णोंके पतिपत्नी भां परस्पर विवाहकर बड़े भगड़ेमें
 पड़ जायेंगे, परस्परप्रीति के स्थान में वैर और कलह के अ-
 ड्डर उत्पन्न होंगे और समाज सङ्गठन मिट्टीमें मिल जायगा।
 यही नहीं इस बिल के अनुसार दायभाग में बड़े भगड़े
 पड़ेगे, अभी तक असवर्ण विवाह से उत्पन्न सन्तान पिता
 का दायभागो नहीं होती पर इस बिल के पास होजाने से
 एक विशुद्ध ब्राह्मण कुल की जायदाद वर्णलङ्घरों के पाले प-
 डेगी और उस कुल के कुटुम्बियों का वर्णसङ्कर सन्तान के
 साथ भगड़ा खड़ा होगा, परस्पर द्वेषकी वृद्धि होगी एक घर
 के अनेक घर होजायेंगे, हिन्दू-जाति का शुद्ध रक्त सदा के
 लिये दूषित हो जायगा, यज्ञयाग बन्द होजायेंगे चारों तरफ
 घोर अशान्ति फैल जायगी। इस लिये इस बिल की विषवृ-
 क्ष की जड़ हिन्दुओं को काट डालनी चाहिये, अभी समय
 है यदि हम लोगों के आलस्य से यह बिल पास होगया तो
 हिन्दू-जाति के नाम कलङ्क का टीका लग जायगा।

